10 3/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। जवाब शामिल मिसल किया जावे। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 अनुसार ग्राम नेगडियारखुर्द प०ह० घोसुण्डी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 292 रकबा 0.15 है 293 रकबा 2.06 है० का खातेदार है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी पत्थरगढ़ी कराना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम नेगडियारखुर्द प०ह० घोसुण्डी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 292, 293 कीता 2 रकबा 2.21 है० भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दस्तन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढ़ी शुल्क 1000.00 रुपए अक्षरे एक हजार रुपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2020/00721

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.07 13:24:37 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)